



2026:AHC:24770

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 2714 / 2026

आसेराम

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याची के अधिवक्ता : नरेन्द्र कुमार, सुशील कुमार कुशवाहा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्याम मणि शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याची द्वारा वर्तमान याचिका में मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, तहसील बरेली, जनपद बरेली को अपील संख्या 26867 / 2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202512130126867) (आसेराम बनाम जगन लाल एवं अन्य) को शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है।
4. मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, किंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका प्रतिवादी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, तहसील बरेली, जनपद बरेली को यह निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है कि वे उपरोक्त अपील का निस्तारण विधि के अनुसार सख्ती से करें, परंतु बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4 फरवरी, 2026

सकलेन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"